सारण समाहरणालय,छपरा

(गोपनीय शाखा)

संयुक्त आदेश

अध्यक्ष, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना के पत्रांक के0/333 दिनांक 10.07.2017 द्वारा प्राप्त सूचनानुसार बिहार प्रारम्भिक शिक्षक (प्रशिक्षित) पात्रता परीक्षा, 2017 दिनांक 23.07.2017 को दो पाली में (प्रथम पाली 10.00 बजे पूर्वाह्न से 12.30 बजे एवं द्वितीय 02.00 बजे अपराह्न से 04.30 बजे) निम्नलिखित परीक्षा केन्द्रों पर संचालित की जायेगी–

क्र.	परीक्षा केन्द्र का नाम एवं पता	केन्द्राधीक्षक का नाम एवं सम्पर्क संख्या	छात्रों की संख्या		
			प्रथम पाली	द्वितीय पाली	कुल
1	2	3	4	5	6
1	जिला स्कूल, मालखाना चौक, सदर अस्पताल के नजदीक, छपरा	श्री मनोज कुमार, प्राचार्य, मो0 9471932344	400	400	800
2	जनक यादव उच्च विद्यालय, छपरा, सारण	श्री कृष्ण मुरारी केशव, प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी, रिविलगंज, मो0 9401155712	450	500	950
3	विश्वेश्वर सेमिनरी, श्रीनन्दन पथ, छपरा	श्री कुशप्रताप सिंह, प्राचार्य मो0-9430075504	481	500	981
4	मिश्रीलाल साह आर्य कन्या उच्च विद्यालय, साहेबगंज, छपरा	श्री अनिल कुमार मिश्रा,प्रधानाध्यापक मो0-06152.23340, 9431251882	0	400	400
5	डॉ0 सैयद महमूद उर्दू कन्या उच्च विद्यालय, महमूद चौक, दहियावां, छपरा	श्री राम महतो, प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी, सदर छपरा मो0-8084019337	0	400	400
6	राजपुत उच्च विधालय छपरा	श्री विश्वनाथ पाठक, प्रभारी प्रधानाध्यापक मो0-9430659832	0	700	700
7	अब्दुल क्यूम अंसारी उच्च विद्यालय, ब्रह्मपुर, छपरा	श्री पुरुषोत्तम ज्ञान भूषण, प्रभारी प्राचार्य, मो0-9199413283	0	400	400
8	राजेन्द्र कॉलेजिएट स्कूल, गुदरी बाजार, छपरा	श्री लक्ष्मेश्वर शर्मा, प्रधानाध्यापक मो0-9430509202	0	600	600
9	जगदम कॉलेज, प्रभुनाथ नगर, छपरा	डॉ0 कृष्ण कुमार बैठा, प्राचार्य मो0-06152.232407,9801473128	0	600	600
10	राजेन्द्र कॉलेज, मेन रोड गुदरी, छपरा	डॉ0 आर0एस0 राय, प्राचार्य, मो0-7258988881	0	1173	1173
11	गांधी उच्च विधालय, दौलतगंज, छपरा	श्री उमा शंकर सिंह, प्रभारी प्रधानाध्यापक मो0-7870551841	0	500	500
12	एस0डी0एस0 कॉलेज, कटरा, छपरा	श्री सत्यनारायण पासवान, प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी, दरियापुर, मो0-8544411931	0	600	600
13	साधुलाल पृथ्वीचन्द +2 स्कूल, आर्य नगर, करीमचक, छपरा	श्रीमती कुमारी छाया, प्राचार्या, मो0-06152-242370,9334021868	0	400	400
14	एल0एन0बी0 उच्च विद्यालय, मोहन नगर, छपरा	श्रीमती निरजा अस्थाना, प्रधानाध्यापक मो0-9934254568	0	500	500
15	गंगा सिंह कॉलेज, सलेमपुर, छपरा	डॉ0 श्रीमती इन्दु सिंह, प्राचार्य मो0-06152.232707,9431450476	0	400	400
16	राजकीय कन्या उच्च विद्यालय, गोपेश्वर नगर, छपरा	श्रीमती उषा देवी, प्रचार्या मो0-945078059?	0	400	400
17	पी0सी0 विज्ञान कॉलेज, छपरा	श्री योगेन्द्र राम, प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी,	0	400	400

		छपरा, मो0 9931682249			
18	सारण एकेडमी उच्च विद्यालय, छपरा	श्री कपलिदेव, प्रधानाध्यापक, तपसी सिंह उच्च विद्यालय, चिरान्द, मो0-7250737006	0	500	500
19	राम जयपाल कॉलेज, छपरा	श्री जयराम साह, प्रधानाध्यापक, लोकमान्य उच्च विद्यालय, छपरा, मो0-9931252809	0	500	500
		कुल	1331	9873	11204

परीक्षार्थियों के हित में यह परमावश्यक है कि परीक्षा स्वच्छ वातावरण में कदाचारमुक्त संपन्न हो। इस हेतु परीक्षा केन्द्रों पर शांति व्यवस्था सुनिश्चित करने, परीक्षा में कदाचार की रोकथाम करने एवं परीक्षा के सफल संचालन हेतु निम्नलिखित निदेश दिये जाते हैं:–

1– बिहार प्रारम्भिक शिक्षक (प्रशिक्षित) पात्रता परीक्षा, 2017 से संबंधित प्रश्न–पत्र, गोपनीय मुद्रकों द्वारा केन्द्रवार दिनांक 19 जुलाई, 2017 से 22 जुलाई, 2017 तक जिला मुख्यालय में प्रेषित किये जायेंगे। उपरोक्त प्रश्न पत्रों को जिला कोषागार, छपरा में रखवाने हेतु श्री सुरेश प्रसाद सिंह, जिला कार्यकम पदाधिकारी, शिक्षा, छपरा मो0 नं0 9431538251 को प्राधिकृत किया जाता है। कोषागार पदाधिकारी, छपरा गोपनीय सामग्री पहुँचते ही उसे प्राप्त कर कोषागार में सुरक्षित रख लेंगे और प्राप्ति रसीद मुहर सहित आपूर्त्तिकर्त्ता को दे देंगे। कोषागार के अतिरिक्त प्रश्नपत्र अन्यत्र कदापि नहीं रखे जायेंगे।

समिति द्वारा केन्द्रवार ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रकों की आपूर्ति विशेषदूत के माध्यम से जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में की जायेगी।

2– परीक्षा के दिन अपने अपने परीक्षा केन्द्र के लिए केन्द्राधीक्षक या उनके द्वारा प्राधिकृत दूत एवं गश्ती दल दण्डाधिकारी (सशस्त्र पुलिस बल के साथ) कोषागार छपरा के वज्रगृह से संयुक्त रूप से एक साथ प्रश्न पत्र प्राप्त करेंगे। गश्ती दण्डाधिकारी वाहन से प्रश्न पत्र को परीक्षा केन्द्र तक सुरक्षित पहुँचायेंगे और सुरक्षित रखवायेंगे तथा वाहन में केन्द्राधीक्षक या उनके प्राधिकृत दूत को भी साथ लेते जायेंगे। कोषागार पदाधिकारी, सारण प्रश्न पत्र के पैकेट्स को उन्हें 08.00 बजे पूर्वाह्न से प्राप्त कराना सुनिश्चित करेंगे।

प्रश्न पत्र एवं ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक स्टैटिक दण्डाधिकारी के समक्ष परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट पूर्व ही खोल कर कक्षवार पैकेट तैयार कर परीक्षा कक्षों में केन्द्राधीक्षक द्वारा भेजे जायेंगे। किसी भी परिस्थिति मे कोई प्रश्न पत्र एवं ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक कक्ष से बाहर नहीं जाने पाये, यह जिम्मेवारी केन्द्राधीक्षक, स्टैटिक मैजिस्ट्रेट और प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारी की होगी। किसी भी प्रकार की गड़बड़ी के लिये केन्द्राधीक्षक जिम्मेवार माने जायेंगे।

3– प्रश्न पत्र एवं ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक वितरण के तुरंत बाद सभी बचे हुये प्रश्न पत्र एवं ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक को एकत्रित कर उनकी वास्तविक संख्या दर्ज करते हुये उसे केन्द्राधीक्षक एवं प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी सील कर देंगे ताकि इनका दुरूपयोग नहीं किया जा सके।

4– परीक्षा की अवधि में अनुमण्डल पदाधिकारी सदर छपरा परीक्षा केन्द्रों के 500 गज की परिधि में दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा प्रभावी ढंग से लागू करना सुनिश्चित करेंगे। वे जिला/ अनुमंडल अंतर्गत फोटो स्टेट केन्द्रों/ दुकानों (विशेश रूप से परीक्षा केन्द्रों के समीप) पर परीक्षा अवधि में विशेष निगरानी रखना सुनिश्चित करेंगे।

5– कदाचार के आरोप मे गिरफ्तार किये गये अभिभावकों/ परीक्षार्थियों एवं वीक्षकों के विरुद्ध मुकदमे की सुनवाई के लिये बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम 1981 के अंतर्गत सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सदर छपरा एवं उप समाहर्त्ता, भूमि सुधार सदर छपरा को विशेष न्यायिक दण्डाधिकारी की शक्ति प्रदान किया गया है। संबंधित पदाधिकारी परीक्षा अवधि में गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों के विरूद्ध मुकदमों की सुनवाई करेंगे और जुर्माना के रूप में प्राप्त राशि को कोषागार में शीर्ष "0070-Other Administrative Service, 01 - Administration of justice 102 Fines and forefeitures" में अविलंब जमा करा कर संध्या 5.30 बजे तक इसकी सूचना अधोहस्ताक्षरी को अनुमंडल पदाधिकारी के माध्यम से देंगे।

6– प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं सशस्त्र बल परीक्षा प्रारंभ होने से 2 घंटे पूर्व अपने प्रतिनियुक्ति का स्थान ग्रहण कर लेंगे एवं परीक्षा समाप्ति के बाद जबतक व्यवहृत ओ0एम0आर0 सीट के पैकेट गश्तीदल दण्डाधिकारी को प्राप्त नहीं करा दिया जाए तब तक केन्द्र पर उपस्थित रह कर विधि व्यवस्था संधारित करेंगे। उनका यह दायित्व होगा कि वे अपने प्रतिनियुक्ति स्थल पर उपस्थित रह कर परीक्षा संचालन

संबंधी नियमों का दृढतापूर्वक पालन सुनिश्चित करेंगे। प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी परीक्षा केन्द्र पर केवल परीक्षार्थियों को ही परीक्षा केन्द्र के मुख्य द्वार पर उनके प्रवेश पत्र को देख कर अंदर जाने देगें। वे यह भी सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा केन्द्रों पर किसी प्रकार का कदाचार नहीं हो तथा किसी भी परिस्थिति में वहां परीक्षार्थियों एवं परीक्षा कार्य से जुड़े व्यक्तियों को छोड़कर कोई भी अनधिकृत व्यक्ति नहीं जाने पाये।

7. जिला शिक्षा पदाधिकारी, सारण परीक्षा केन्द्र में परीक्षार्थियों के प्रवेश के समय गेट पर तलाशी (Frisking) की व्यवस्था अनिवार्य रूप से करेंगे और इसके लिए केन्द्र पर प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी एवं पुलिस बल का उपयोग करेंगे। परीक्षा केन्द्र के गेट पर तथा आवश्यकतानुसार परीक्षा कक्ष में महिला परीक्षार्थियों के चिट–पूर्जा आदि की तलाशी महिला पुलिस/महिला वीक्षक/ महिला केन्द्राधीक्षक/ महिला पदाधिकारी द्वारा की जाय। इस हेतु गेट के बगल में कपड़े से घेरकर अस्थायी छोटा–सा घेरा तैयार कर लिया जाय और महिला परीक्षार्थियों की तलाशी के दौरान पुरूष वीक्षक उस कक्ष से बाहर आ जाये और खिड़कियों व दरवाजों से दूर रहे। केन्द्राधीक्षक का यह दायित्व होगा कि वे परीक्षा केन्द्र पर परीक्षार्थियों के Seat Plan की एक प्रति भवन के मुख्य द्वार पर, एक ब्लैक बोर्ड पर और एक प्रति सूचना पट्ट पर भी लगवा देंगे। केन्द्राधीक्षक एवं दण्डाधिकारी पुलिस बल की सहायता से परीक्षार्थियों की शारीरिक जांच प्रवेश द्वार पर ही कर के मोबाईल फोन, ब्लूटूथ या अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजट, चिट, कॉपी, किताब, चाकू, माचिस, ब्लेड इत्यादि ले लेंगे। वे परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व परीक्षा केन्द्र के बाहर निरोधात्मक सूचना लगायेंगे कि कोई भी छात्र नकल करने वाले उपकरणों के साथ भीतर प्रवेश न करें। साथ ही यह सुनिश्चित करेंगे कि केवल परीक्षार्थी ही परीक्षा केन्द्र के भीतर प्रवेश करें और उनके पास प्रवेश पत्र एवं लेखन सामग्री के अतिरिक्त कुछ न हो। किसी भी स्थिति में अभ्यर्थियों के अतिरिक्त अनधिकृत व्यक्ति परीक्षा केन्द्र में प्रवेश न करें। मोबाईल फोन का प्रयोग परीक्षा के दौरान पूर्णतः वर्जित रहेगा।

8– केन्द्राधीक्षक यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उक्त परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा में संलग्न किसी कर्मचारी/पदाधिकारी का कोई संबंधी परीक्षा नहीं दे रहा हो। वे इस आशय का घोषणा पत्र भी सभी संबंधित से प्राप्त कर लेंगे।

9– केन्द्राधीक्षक का यह दायित्व होगा कि वे परीक्षा कार्य मे संलग्न कर्मचारियों को पहचान पत्र निर्गत करेंगे एवं स्पष्ट निर्देश देंगे कि सभी शिक्षक/कर्मी परीक्षा अवधि में परिचय–पत्र अपने साथ रखेंगे एवं निरीक्षण के कम में प्रस्तुत करेंगे। परीक्षा अवधि में यदि कोई शिक्षक/ कर्मी परिचय–पत्र के बगैर पाये जाते हैं तो उनके विरूद्ध आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। परीक्षा तिथि को केन्द्र पर प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी की सहमति से केन्द्राधीक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि कौन वीक्षक किस कमरे में प्रतिनियोजित होंगे। प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि जिस वीक्षक को जो कमरा आवंटित है, वे उसी कमरे मे कार्य संपादित करेंगे और हमेशा कमरे मे भ्रमण करते रहेंगे, दरवाजे पर खड़े नहीं रहेंगे। सभी केन्द्राधीक्षक एवं प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि कर्त्तव्य पर प्रतिनियुक्त शिक्षक एवं अन्य कर्मचारी अपने साथ परीक्षा कार्य से संबंधित वैध कागजात के अतिरिक्त कोई अन्य कागजात परीक्षा केन्द्र पर नहीं ले जाए। परीक्षा के दौरान मोबाईल फोन एवं अन्य इलेक्ट्रिक गैजेट्स का प्रयोग पूर्णतः वर्जित है।

10– जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं केन्द्राधीक्षक का कर्त्तव्य एवं दायित्व–

प्रत्येक 25 परीक्षार्थियों पर एक वीक्षक तथा चार वीक्षकों पर एक रिलिवर प्रतिनियुक्त किया जाए। परंतु प्रत्येक परीक्षा कक्ष में न्यूनतम दो वीक्षकों की प्रतिनियुक्ति की जायेगी। इस हेतु माध्यमिक विद्यालयों/+2 विद्यालयों के शिक्षकों को वीक्षक के रूप में प्रतिनियुक्त किया जाए। जिला शिक्षा पदाधिकारी, सारण परीक्षा केन्द्रों पर प्रतिनियुक्त होनेवाले वीक्षकों की सूची केन्द्राधीक्षक से प्राप्त कर पूर्व में ही अनुमोदित करेंगे। किसी भी परिस्थिति में गैर शिक्षक एवं अन्य किसी कर्मचारी को वीक्षण कार्य में नही लगाया जाय। उत्तम रिकार्ड वाले मान्यता प्राप्त राजकीय/राजकीयकृत विद्यालयों के स्थानीय शिक्षकों को ही वीक्षकों के रूप में नियुक्त किया जाए। शिक्षकेत्तर कर्मचारी (यथा– पानी पिलाने आदि) के मामले में अगल–बगल के विद्यालयों से ही शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को नियुक्त किया जाय। किसी भी परिस्थिति में बाहरी मजदूरों अथवा बाहरी व्यक्ति को नियुक्त नहीं किया जाय, क्योंकि उनके जरिये परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हो सकती है।

कृपया ध्यान दें कि यदि किसी केन्द्र पर सामूहिक नकल पायी जायेगी तो संबंधित केन्द्राधीक्षक और वीक्षक आदि विशेष रूप से जिम्मेवार माने जायेंगे।

किसी भी निरीक्षी पदाधिकारी के आने पर परीक्षा केन्द्र का गेट तुरन्त खुलवाया जाए, यह व्यवस्था भी सुनिश्चित करेंगे। परीक्षा कक्ष में कोइ भी परीक्षार्थी एवं वीक्षक मोबाइल फोन लेकर नहीं जायेगे, इसका अनुपालन दृढ़ता से सुनिश्चित किया जाए।

(I) उनका यह दायित्व होगा कि वे परीक्षा केन्द्रों पर आवश्यक तैयारियों की जांच कर यथासमय पूर्व अवगत करायेंगे। यदि परीक्षा केन्द्र पर उपस्कर/ वीक्षक/ कर्मचारियों आदि की कमी होगी तो वे उसकी व्यवस्था भी नियमानुसार सुनिश्चित करेंगे। यदि उपस्कर की कमी होती है तो जिला शिक्षा पदाधिकारी नजदीक के विद्यालयों से ढुलवा कर व्यवस्था करेंगे।

(II) जिला शिक्षा पदाधिकारी अपने जिले के सभी केन्द्राधीक्षकों की बैठक बुलाकर परीक्षा समिति एवं जिला पदाधिकारी द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु उन्हें अपने स्तर से निर्देश देगें। केन्द्राधीक्षकों को यह भी निर्देश देंगे कि उनके केन्द्र पर उड़नदस्ता एवं निरीक्षी पदाधिकारी के जाने पर मुख्य द्वार को तुरंत खुलवा दें जिससे कि केन्द्र का अविलंब निरीक्षण किया जा सके।

11– यदि किसी केन्द्र पर कदाचार अथवा किसी अन्य कारण से पूरी पाली की परीक्षा रद्द हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी अपने स्तर से जॉचोपरांत दायित्व निर्धारित करेंगे कि किस स्तर से की गई लापरवाही/ उदासीनता/ अनुशासनहीनता के कारण परीक्षा को रद्द करना आवश्यक हो गया। इस संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन जिलाधिकारी को भेजेगें।

12– परीक्षा केन्द्र पर हुए कदाचार के मामले में निरीक्षण करने वाले दण्डाधिकारी/ केन्द्राधीक्षक अपना दैनिक प्रतिवेदन जिला पदाधिकारी/ जिला शिक्षा पदाधिकारी को अतिशीघ्र अवश्य भेजेंगे। इस संबंध में किसी प्रकार की शिथिलता को गंभीरता से लिया जायेगा।

13– सभी केन्द्राधीक्षक परीक्षा केन्द्र /परिसर की सफाई परीक्षा शुरू होने के पूर्व सुनिश्चित करायेंगे जिससे किसी तरह का चिट/ पुर्जा आदि परिसर में न रहे। इसके अतिरिक्त परीक्षा कक्षों के श्यामपट्ट पर परीक्षा विषयों के बारे मे कुछ भी नहीं लिखा रहे इसे भी सुनिश्चित किया जाए।

14– सभी केन्द्राधीक्षक व्यवहृत ओ0एम0 आर0 उत्तर पत्राकों के पैकेट तैयार करा कर प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी की उपस्थिति मे सील करेंगे तथा गश्ती दण्डाधिकारी के माध्यम से उसे वज्रगृह मे प्राप्त करा कर प्राप्ति रसीद प्राप्त कर लेंगे। वज्रगृह के प्रभारी पदाधिकारी परीक्षा समाप्ति के उपरान्त प्राप्त होने वाली व्यवहृत ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक के पैकेटों को सुरक्षित रखवायेंगे।

15 परीक्षा को कदाचारमुक्त संचालन हेतु परीक्षा केन्द्रों के लिये 1/4 सशस्त्र बल के साथ स्टैटिक/ गश्ती एवं उड़नदस्ता दण्डाधिकारी –सह–जोनल दण्डाधिकारी/ सुपर जोनल दण्डाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति सूची परिशिष्ट पर संलग्न है।। गश्त दण्डाधिकारी परीक्षा तिथि को अपने से संबद्ध परीक्षा केन्द्रों पर प्रश्न पत्र 8.00 बजे पूर्वाहन से कोषागार से प्राप्त कर परीक्षा केन्द्रों पर पहुँचाना सुनिश्चित करेंगे तथा परीक्षोपरांत व्यवहृत उत्तरपुस्तिकाओं को बज्रगृह में जमा करायेंगे।

सुपर ज़ोनल दण्डाधिकारी भौगोलिक क्षेत्र एवं दूरी के अनुसार परीक्षा तिथि को सभी सम्बद्ध परीक्षा केन्द्रों को प्रति पाली यथासंभव एक बार भ्रमण करना सुनिश्चित करेंगे। परीक्षा तिथि को प्रति पाली जोनल दण्डाधिकारी न्यूनतम दो बार एवं गश्ती दण्डाधिकारी न्यूनतम तीन बार सम्बद्ध सभी परीक्षा केन्द्रों का भ्रमण करना सुनिश्चित करेंगे।

उपरोक्त दण्डाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी संबद्ध परीक्षा केन्द्रों की सघन गश्ती कर विधि व्यवस्था संधारित करेंगे और हर हाल में स्वच्छ एवं कदाचारमुक्त परीक्षा का संचालन सुनिश्चित करेंगे। **अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर छपरा इन दण्डाधिकारियों को आवश्यकतानुसार वाहन/ ईंधन उपलब्ध करायेंगे।**

एक केन्द्र पर एक से अधिक पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति स्टैटिक दण्डाधिकारी के रूप में होने की स्थिति में वरीय पदाधिकारी, वरीय स्टैटिक दण्डाधिकारी के रूप में कार्य करेंगे तथा दण्डाधिकारियों के बीच प्रतिदिन परीक्षार्थियों की संख्या के अनुरूप कमरों का विभाजन वरीय स्टैटिक दण्डाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

परीक्षा केन्द्र के बाहर की विधि व्यवस्था के लिए प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी एवं पुलिस बल तथा भीतर की व्यवस्था के लिए संबंधित केन्द्राधीक्षक की जिम्मेवारी होगी। नकल करने वाले परीक्षार्थियों एवं इसमें सहयोग करने वाले अभिभावकों के साथ–साथ परीक्षा व्यवस्था से जुड़े सभी कर्मियों पर भी बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम, 1981 के प्रावधान सख्ती से लागू किया जाय और दोषियों को दंडित किया जाय। यदि किसी परीक्षार्थी के पास किसी प्रकार का आपत्तिजनक उपकरण परीक्षा केन्द्र के भीतर पाये जाते हैं तो उन्हें नियमानुसार दण्डित किया जाय।

16– इस परीक्षा के संचालन हेतु प्रतिनियुक्त सभी केन्द्राधीक्षकगण/ प्रतिनियुक्त स्टैटिक /गश्ती/ उड़नदस्ता दण्डाधिकारी /अन्य संबंधित पदाधिकारी तथा पुलिस पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, सारण/ अनुमंडल पदाधिकारी, सदर छपरा /अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सदर एवं पुलिस अधीक्षक, सारण छपरा की एक अत्यावश्यक बैठक दिनांक 21.07.2017 को 4.00 बजे

अपराह्न में समाहरणालय समागार में आयोजित की गई है। जिला शिक्षा पदाधिकारी, सारण को निदेश दिया जाता है कि वे सभी केन्द्राधीक्षकगण/संबंधित दण्डाधिकारियों को इस संबंध में अपने स्तर से सूचना निर्गत करेंगे। पुलिस पदाधिकारी को बैठक की सूचना परिचारी प्रवर, पुलिस केन्द्र छपरा द्वारा दी जाएगी।

17— प्रश्नपत्रों की निकासी कोषागार, छपरा के बज्रगृह से कर संबंधित परीक्षा केन्द्रों तक पहुँचाने हेतु दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की जा चुकी है। अनुमंडल पदाधिकारी, सदर छपरा, इन दंडाधिकारी के माध्यम से वाहन से प्रश्नपत्र के पैकेटों को परीक्षा केन्द्रों तक ससमय सुरक्षित पहुँचवायेंगे।

18— परीक्षा के उपरांत सभी परीक्षा केन्द्रों से प्राप्त होने वाले व्यवहृत ओ.एम.आर. उत्तर पत्रक को रखने के लिए बज्रगृह का निर्माण निम्नवत किया जाता है—

क0	अनुमंडल का नाम	वज्रगृह स्थल	प्रभारी पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम
1	2	3	4
1.	सदर छपरा	जिला स्कूल छपरा के नए भवन के उपरि तल	श्री सुरेश प्रसाद सिंह, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, शिक्षा, छपरा मो0 नं0 9431538251

सभी केन्द्राधीक्षक प्रति पाली व्यवहृत ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक के पैकेट तैयार कर प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी की उपस्थिति में सीलकर, गश्ती दण्डाधिकारी के माध्यम से उपरोक्त बज्रगृह में उसी दिन परीक्षा समाप्ति के तुरंत बाद जमा करा देंगे और उसकी प्राप्ति रसीद प्राप्त कर लेंगे। जब तक पूरी तरह से सभी पैकेट सुरक्षित रखवाने का कार्य समाप्त नहीं हो जाता है तब तक कोई दण्डाधिकारी या पुलिस पदाधिकारी/ केन्द्राधीक्षक/ वीक्षक अपना स्थान छोड़कर नहीं जायेंगे। इस वज्रगृह की सुरक्षा हेतु 1/4 सशस्त्र बल परीक्षा की तिथि से प्रतिनियुक्त रहेगा। परिचारी प्रवर, पुलिस केन्द्र, छपरा इसके लिए सशस्त्र बल की प्रतिनियुक्ति करना सुनिश्चित करेंगे।

19— परीक्षोपरांत वज्रगृह में संधारित ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रकों पर बार कोडिंग चस्पा का कार्य चीफ सेकेसी ऑफिसर द्वारा समिति के निदेशानुसार सम्पन्न कराया जायेगा। बारकोडिंग के लिए विस्तृत निदेश समिति से प्राप्त होने पर अलग से दिया जायेगा।

20- कदाचारमुक्त परीक्षा संचालन को ध्यान में रखकर प्रत्येक परीक्षा केन्द्र के बाहर एवं अन्य आवश्यक स्थानों पर सी0सी0टी0भी0 कैमरा लगाने का निदेश दिया गया है ताकि कदाचारमुक्त परीक्षा संचालन में बाधा डालने वाले असमाजिक तत्व कैमरे की नजर में रहें। साथ ही कदाचारमुक्त परीक्षा संचालन हेतु प्रति 500 (पाँच सौ) परीक्षार्थियों पर एक विडियोग्राफर की व्यवस्था भी किया जायेगा। परीक्षार्थियों की संख्या बढ़ने पर उक्त अनुपात में विडियोग्राफरों की संख्या में वृद्धि की जायेगी। अनुमंडल पदाधिकारी, सदर छपरा परीक्षा केन्द्रों पर दिए गए निदेश के अनुरूप CCTV कैमरा लगवाना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही, सभी परीक्षा केन्द्रों पर समुचित सख्या में विडियोग्राफर की व्यवस्था करायेगें। "इम्प्रसोनेशन" रोकने हेतु प्रत्येक परीक्षा केन्द्रों पर विडियोग्राफी निश्चित रूप से की जाए। परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड सीना के सामने रखकर बिल्कुल स्पष्ट रूप से विडियोंग्राफी की जाय। विडियोंग्राफी की गई अभ्यर्थी का चेहरा एवं रौल न0 स्पष्ट दृष्टिगोचर होना चाहिए। साथ हीं विडियोंग्राफर को स्पष्ट निदेश देगें कि परीक्षा कक्ष के अन्दर के विडियोंग्राफी करने के पूर्व परीक्षा कक्ष के बाहरी द्वार जिस पर परीक्षा कक्ष का नाम संख्या तथा अभ्यार्थियों का रौल नं0 का लिस्ट लगा हो, का भी स्पष्ट विडियोग्राफी करेंगें। परीक्षा कक्ष में प्रतिनियुक्त वीक्षकों का भी विडियोग्राफी करेंगे। साथ हीं सभी परीक्षा केन्द्रों का विडियोंग्राफी के सी. डी. तैयार कर जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, सारण को उपलब्ध करायेंगे। जिला जन सर्म्पक पदाधिकारी उक्त सभी सी. डी. को परीक्षा समाप्ति के दो दिनों के अन्दर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना को विशेष दूत से उपलब्ध करा दें ताकि उसमें कोई छेड़छाड़ न की जाए। कोषागार/ बैंक से प्रश्न पत्र प्राप्त करने एवं वज्रगृह में जमा करने से संबंधित सभी प्रकियाओं की विडियोग्राफी करायी जायेगी।

21- इस परीक्षा में सम्मिलित होने वाले सभी अभ्यर्थियों की उपस्थिति बायोमेट्रिक मशीन से ली जायेगी। इस हेतु सभी परीक्षा केन्द्रों पर समिति के चयनित एजेन्सी द्वारा पर्याप्त संख्या में बायोमेट्रिक मशीन की व्यवस्था की जाएगी। सभी केन्द्राधीक्षक उपरोक्त कार्यो के सुचारू रूप से सम्पादन हेतु समिति द्वारा नियुक्त एजेंसी को आवश्यक सहायता प्रदान करेंगे।

22– <u>नियंत्रण कक्ष</u> – इस परीक्षा के अवसर पर अनुमंडल कार्यालय, सदर छपरा के परिसर में जिला नियंत्रण कक्ष की स्थापना की जाती है जिसका दूरभाष संख्या-06152-242444 है। अनुमण्डल पदाधिकारी छपरा सदर इस नियंत्रण कक्ष मे रोस्टर के अनुसार पर्याप्त संख्या मे पदाधिकारी/ लिपिक एवं अनुसेवी की प्रतिनियुक्ति करना सुनिश्चित करेंगे। यह नियंत्रण कक्ष परीक्षा के दिन प्रातः 7.30 बजे से संध्या 5 बजे तक खुला रहेगा। किसी भी आकस्मिक स्थिति में जिला शिक्षा पदाधिकारी, सारण (मोबाईल नं0 9430979194, 8544411907) ,अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर छपरा (मोबाईल नं0 9473191269), अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सदर छपरा (मोबाईल नं0 9431800075) से सम्पर्क किया जा सकता है।

23– परिचारी प्रवर, पुलिस केन्द्र से 4 पुलिस पदाधिकारी एवं 4 सेक्शन सशस्त्र बल, 4 सेक्शन लाठी बल, 4 महिला सिपाही एवं अश्रु गैस दस्ता के साथ वज्रवाहन जिला नियंत्रण कक्ष में प्रतिनियुक्त करेंगे। अनुमण्डल पदाधिकारी, छपरा सदर नियंत्रण कक्ष मे पर्याप्त संख्या में सुरक्षित दण्डाधिकारी एवं वाहन की व्यवस्था भी सुनिश्चित करेंगे, जिनका उपयोग आवश्यकतानुसार उड़नदस्ता दल के पदाधिकारियों/ दण्डाधिकारियों द्वारा किया जायेगा। इसके अलावा इसका उपयोग किसी भी आकस्मिक स्थिति से निबटने हेतु भी किया जायेगा।

24–परिचारी प्रवर यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल हर हालत मे परीक्षा प्रारंभ होने के 2 घंटे पूर्व अपने प्रतिनियुक्ति स्थल पर पहुँच जाएं।

25– परीक्षा ड्यूटी में प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल के अतिरिक्त थानाध्यक्ष नगर, भगवानबाजार और मुफस्सिल एवं इन थानों में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी एवं बल अपने थाना पर उपलब्ध रहेंगे। परीक्षा केन्द्रों से संबद्ध थानों के वितन्तु केन्द्र परीक्षा की अवधि में लगातार खुले रहेंगे और खैरियत की सूचना नियंत्रण कक्ष एवं वरीय पदाधिकारियों को देते रहेंगे।

26– परिचारी प्रवर, पुलिस केन्द्र, सारण, संलग्न सूची के अनुसार परीक्षा केन्द्रों के सामने अंकित पुलिस पदाधिकारी के साथ नियमित सिपाही की प्रतिनियुक्ति करना सुनिश्चित करेंगे। यदि होम गार्ड की प्रतिनियुक्ति आवश्यक हो तो नियमित पुलिस बल के साथ संयुक्त रूप से होमगार्ड की प्रतिनियुक्ति की जाय।

27– जिला अग्निशाम पदाधिकारी, सारण परीक्षा के दिन नियंत्रण कक्ष में फायर टेंडर की प्रतिनियुक्ति बल सहित प्रातः 7.30 बजे से करना सुनिश्चित करेंगे।

28– परीक्षा केन्द्र पर प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी/केन्द्राधीक्षक खैरियत प्रतिवेदन जिला शिक्षा पदाधिकारी/जिलाधिकारी को अतिशीघ्र अवश्य भेंजेंगे।

29– अनुमंडल पदाधिकारी, सदर छपरा एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सदर छपरा परीक्षा अवधि में अपने क्षेत्र के परीक्षा केन्द्रों पर भ्रमणशील रहेंगे तथा विधि–व्यवस्था के सम्पूर्ण प्रभार में रहेंगे। संलग्न परिशिष्ट में प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारी/दण्डाधिकारी यदि किसी कारणवश अनुपस्थित रहते हैं तो उनके स्थान पर वे अपने स्तर से प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित करेंगे तथा उसका अनुमोदन प्राप्त कर लेंगे।

17/7/17 — 17/7/17

पुलिस अधीक्षक
सारण,छपरा

जिला पदाधिकारी
सारण,छपरा

ज्ञापांक 2360 / सी
छपरा,दिनांक 17 जुलाई, 2017.

प्रतिलिपि प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि अध्यक्ष, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि आयुक्त,सारण प्रमण्डल छपरा/ क्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षक, सारण क्षेत्र छपरा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि जिला एवं सत्र न्यायाधीश,छपरा/ मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी,सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि उप विकास आयुक्त, सारण/ निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्व नियोजन, डी.आर.डी.ए. छपरा/अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर/ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सदर/ उप समाहर्त्ता, भूमि सुधार, सदर छपरा/ जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, सारण/सभी संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी/ बाल विकास परियोजना पदाधिकारी/परिचारी प्रवर, पुलिस केन्द्र, सारण/जिला समादेष्टा, होमगार्ड, छपरा/जिला अग्निशाम पदाधिकारी, सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी

एवं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी अपने स्तर से अपने अधीनस्त पदाधिकारी/ महिला पर्यवेक्षिका को पत्र तामिला कराकर तामिला प्रतिवेदन मेल द्वारा भेजना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि शाखा, छपरा/नजारत उप समाहर्त्ता, सारण/कोषागार पदाधिकारी, सारण/ जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, सारण/ श्री सुरेश प्रसाद सिंह, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, शिक्षा, छपरा/ सभी प्रतिनियुक्त महिला पर्यवेक्षिका/पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि जिला शिक्षा पदाधिकारी, सारण को आदेश की अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि सभी केन्द्राधीक्षकों/ शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों को पत्र का तामिला अपने स्तर से कराना सुनिश्चित किया जाए।

प्रतिलिपि सभी केन्द्राधीक्षक, सारण जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि थानाध्यक्ष छपरा नगर/ भगवान बाजार और मुफस्सिल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० 11/7/17
पुलिस अधीक्षक
सारण,छपरा

ह० 12/7/17
जिला पदाधिकारी
सारण,छपरा

बिहार प्रारंभिक शिक्षक (प्रशिक्षित) पात्रता परीक्षा, 2017 हेतु परीक्षा केन्द्र पर 1/4 सशस्त्र पुलिस बल के साथ दण्डाधिकारी/ पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति सूची।

क.	परीक्षा केन्द्र का नाम एवं पता	स्टैटिक दण्डाधिकारी का नाम एवं पदनाम	पुलिस पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर 1/4 नियमित पुलिस बल	परीक्षा केन्द्रों पर प्रतिनियुक्त महिला पदाधिकारी	गश्ती दण्डाधिकारी का नाम एवं पदनाम	पुलिस पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	जोनल दंडाधिकारी–सह –उड़नदस्ता दण्डाधिकारी का नाम एवं पदनाम	जोनल–सह–उड़नदस्ता पुलिस पदाधिकारी का नाम/ पदनाम	सुपर जोनल दण्डाधिकारी का नाम एवं पदनाम	सुपर जोनल पुलिस पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	अब्दुल क्युम अंसारी हाई स्कूल छपरा	श्री विभुति कुमार सिन्हा, कनीय अभियंता, गाडा, छपरा	स0अ0नि0 मो0 रहमानी, नगर, 9334231788	1/4	कुमारी प्रिति सिंह, म0पु0, मांझी, 9162569065	श्री अमरेन्द्र कुमार गोंड़, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, शिक्षा मो0 8936887353	पु0अ0नि0 आजादी राम, महिला थाना, 8804363201	मो. उमैर, वरीय उप समाहर्त्ता, सारण मो0 9939002826	पु0अ0नि0 जितेन्द्र सिंह, नगर, 8507780577	श्री सुनील कुमार, उप विकास आयुक्त, सारण, छपरा मो0 ९9431818362	पु0अ0नि0 दुनेश्वर उपाध्याय, नगर, 9470283451
2	राजेन्द्र कॉलेज, छपरा	श्री हरेन्द्र कुमार, सहायक अभियंता, भवन प्रमंडल, छपरा मो0 9431674761	स0अ0नि0 लाल बहादूर पासवान, अमनौर 9934832773	1/4	रिता कुमारी, म0पु0, गरखा, 9939291247						
3	राजेन्द्र कॉलेजिएट स्कूल, छपरा, सारण	विजेन्द्र सिंह, कनीय अभियंता, गाडा, 9199508697	स0अ0नि0 अवधेश कु0 मंडल खैरा, 7260972018	1/4	पुनम कुमारी, म0पु0, लहलादपुर,, 9472852838						
4	गाँधी हाई स्कूल दौलतगंज, छपरा	श्री मिथिलेश कुमार, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, एकमा मो0 9939078226, 7870768468	स0अ0नि0 उदय शंकर प्र0, इसुआपुर, 9934245069	1/4	सीमा कुमारी, म0पु0, छपरा ग्रामीण, 7870172790						
5	एस.डी.एस. कॉलेज, कटरा छपरा	श्री सुधीर चौधरी, कनीय अभियंता, भवन प्रमंडल, छपरा मो0 9470711053	स0अ0नि0 अमरेन्द्र कु0 मिश्र, मुफसिल, 8986269138	1/4	श्रीमती इन्द्राणी कुमारी, म0प्र0 पदा0, जिला विकास शाखा, छपरा 9431265543	श्रीमती मीना कुमारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन, छपरा मो0 9199356987	पु0अ0नि0 बैजनाथ सिंह, जलालपुर, 9973300289				
6	जनक यादव उच्च विद्यालय, कटरा, छपरा	श्री विनोद कुमार ,सहायक निदेशक,उद्यान , छपरा मो0 9431818974 / 9955167886	स0अ0नि0 राजेन्द्र प्र0 उपाध्याय, मांझी, 9473235348	1/4	गुड़िया श्रुति रानी, म0पु0, सदर छपरा मो0 7352658002						
7	जिला स्कूल, छपरा, सारण	श्री विजय कुमार मिश्रा, प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी, नगरा मो0 7277651928	स0अ0नि0 महेन्द्र चौधरी, मांझी, 8083501524	1/4	भारती कुमारी, म0पु0 छपरा ग्रामीण मो0 9801154405						
8	राम जयपाल कॉलेज, छपरा	श्री ललन महतो, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, जलालपुर मो0 ९9934256925	स0अ0नि0 दीपक कु0 सिंह, रसुलपुर, 9472897968	1/4	कहकशा रौशन, म0पु0, एकमा, 9507825733						

क्र.	परीक्षा केन्द्र का नाम एवं पता	स्टैटिक दण्डाधिकारी का नाम एवं पदनाम	पुलिस पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर 1/4 नियमित पुलिस बल	परीक्षा केन्द्रों पर प्रतिनियुक्त महिला पदाधिकारी	गश्ती दण्डाधिकारी का नाम एवं पदनाम	पुलिस पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	जोनल दंडाधिकारी–सह–उड़नदस्ता दण्डाधिकारी का नाम एवं पदनाम	जोनल–सह–उड़नदस्ता पुलिस पदाधिकारी का नाम/ पदनाम	सुपर जोनल दण्डाधिकारी का नाम एवं पदनाम	सुपर जोनल पुलिस पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	पी.सी. विज्ञान कॉलेज, छपरा	श्री राम जी पाण्डेय, प्रखंड शिक्षा पदा. मकेर मो0 ९9430673461	स0अ0नि0 सुनील कुमार, रिविलगंज, 703309747	1/4	प्रिति कुमारी, म0प0, एकमा, 9631656436	श्री दिलीप कुमार, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना, शिक्षा, छपरा–9122971278	पु0अ0नि0 अनुज कु0 सिंह, भगवान बाजार, 7992351648				
10	सैयद महमूद कन्या उच्च विद्यालय, महमूद चौक, छपरा	श्री विजय कुमार तिवारी, प्रखंड आपूर्त्ति पदाधिकारी, जलालपुर 9973129971	स0अ0नि0 रामजी सिंह, रिविलगंज, 8083535556	1/4	रूची कुमारी, म0प0 मांझी मो0 8521353682						
11	एम.एल. साह आर्य कन्या उच्चा वि0 साहेबगंज, छपरा	श्री जगदीश भक्त, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, अमनौर मो0 ९9939976068	स0अ0नि0 ब्रज किशोर पाण्डेय, नयागांव, 9431259094	1/4	जहाँन्वीराज, म0प0 अमनौर, मो0 8002466842			श्री संजीव कुमार, उप समाहर्त्ता, भूमि सुधार, सदर छपरा मो0 8544412390	पु0अ0नि0 परशुराम राय, मुफसिल, 9430856594		
12	साधु लाल पृथ्वीचन्द उच्च विद्यालय, छपरा	विनोद कुमार सिंह, कनीय अभियंता,, गाढा, 9472085581	स0अ0नि0 सीता राम यादव, जनता बाजार, 8409493491	1/4	प्रीति कुमारी–2 म0प0 गरखा मो0 7549505665						
13	गंगा सिंह कॉलेज, छपरा	श्री कृष्णकान्त तिवारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, सोनपुर ९8544411946	स0अ0नि0 प्रेम कु0 तिवारी, दाउदपुर, 9955209078	1/4	श्रीमती गरिमा कुमारी, म0प0 रिविलगंज, मो0 9162766701	श्री विनोद आनन्द, प्रखंड विकास पदाधिकारी, सदर छपरा मो0 ९9431818167	पु0अ0नि0 मो0 सबाउद्दीन खां, मेल्दी, 9199209502				
14	एल.एन.बी. उच्च विद्यालय, छपरा	पृथ्वीनाथ गुप्ता, स्वास्थ्य प्रशिक्षक, सदर छपरा मो0 9835667517	स0अ0नि0 शंकर दास, अवतारनगर, 8507152022	1/4	शिखा कुमारी–2, म0प0 रिविलगंज, मो0 9709528607						
15	जगदम कॉलेज, छपरा	श्री अशोक कुमार सिंह, कनीय अभियंता, भवन प्रमंडल, छपरा मो0 9570824976	स0अ0नि0 शशीभूषण शर्मा, सोनपुर, 9801871828	1/4	अमृता कुमारी, म0प0 नगरा मो0 6292554647						
16	राजपुत उच्च विद्यालय, छपरा	श्री राजीव रंजन कुमार कनिय अभि0 ग्रा0 कार्य प्रमंडल–1 छपरा मो0–8986915735	स0अ0नि0 रणजीत कु0 सिंह, सोनपुर, 8986169146	1/4	तरन्नुम मोईन, म0प0 नगरा मो0 8083085287						

क्र.	परीक्षा केन्द्र का नाम एवं पता	स्टैटिक दण्डाधिकारी का नाम एवं पदनाम	पुलिस पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर 1/4 नियमित पुलिस बल	परीक्षा केन्द्रों पर प्रतिनियुक्त महिला पदाधिकारी	गश्ती दण्डाधिकारी का नाम एवं पदनाम	पुलिस पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	जोनल दंडाधिकारी–सह–उड़नदस्ता दण्डाधिकारी का नाम एवं पदनाम	जोनल–सह–उड़नदस्ता पुलिस पदाधिकारी का नाम/ पदनाम	सुपर जोनल दण्डाधिकारी का नाम एवं पदनाम	सुपर जोनल पुलिस पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	विश्वेश्वर सेमीनरी छपरा	श्री दिवाकर सिंह, प्रखंड शिक्षा पदा. परसा मो0 9835059603	स0अ0नि0 परवेज आलम, जनता बाजार, 9973363152	1/4	अर्चना कुमारी, म0प0, नगरा, 9471454780	श्री भाष्कर प्रियदर्शी, सहायक निदेशक, बाल संरक्षण ईकाई, छपरा मो0 9431581313	पु0अ0नि0 देव कु0 राय, कोपा, 9006245489				
18	राजकीय कन्या उच्च विद्यालय, छपरा	श्री छोटक राम, कनीय अभियंता, भवन प्रमंडल, छपरा मो0 7870092035	स0अ0नि0 द्वारिका राम, गौरा, 7461866043	1/4	प्रज्ञा कुमारी, म0प0 बनियापुर मो0 9162766214						
19	सारण एकेडमी उच्च विद्यालय, छपरा	श्री प्यारे मोहन तिवारी, प्रखंड शिक्षा पदा. दिघवारा 7250312573	स0अ0नि0 छठु राम, भेल्दी, 8969770748	1/4	संगीता कुमारी, म0प0 बनियापुर मो0 9135176292						

नोट– परिचारी प्रवर पुलिस केन्द्र, छपरा दण्डाधिकारी एवं परीक्षा केन्द्र पर 1/4 नियमित पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति करना सुनिश्चित करेंगे। यदि होमगार्ड की प्रतिनियुक्ति आवश्यक हो तो नियमित पुलिस बल के साथ संयुक्त रूप से होमगार्ड की प्रतिनियुक्ति करेंगे।

पुलिस अधीक्षक
सारण छपरा

जिला दंडाधिकारी,
सारण छपरा